# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )
वाद सं० : 685 सन 2022
अनवान :–

1. मीरा पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री दयाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

**वादीगण**

**बनाम**

1. उम्मेदसिंह पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
3. श्रवण कुमार पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री हंसराम पत्नी महावीर जाति जाट साकिन खेडी तहसील नाथूसरी चोपटा जिला सिरसा हरियाणा।
6. सुमित्रा पुत्री हंसराम पत्नी हरदत्त जाति जाट साकिन खेडी तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
7. अशोक कुमार पुत्र दरियासिंह जाति जाट साकिन थेडी तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
8. अजय कुमार पुत्र दरियासिंह जाति जाट साकिन थेडी तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
9. सावित्री पुत्री दरियासिंह पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट साकिन देयड तहसील भट्टू जिला फतेहबाद
10. कमलेश पुत्री दरियासिंह पत्नी रमेश जाति जाट साकिन देयड तहसील भट्टू जिला फतेहबाद
11. निलम पुत्री दरिया सिंह पत्नी रामपाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
12. सुमित पुत्र प्रेमसुख जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 29/08/2022

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 169/159 की कुल 0.5060हैक्. एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 105/81 की कुल 1.5180हैक्. व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 176/175 की कुल 4.8070हैक्. में से 3/19 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हंसराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हसंराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है जो वादी संख्या 1 का ससुर एव वादी संख्या 2 का दादा है वादीगण के पूर्वज हसंराम पुत्र मगनीराम का देहान्त हो गया है तथा हसंराम पुत्र मगनीराम के एक पुत्र दयाराम व पुत्री इन्द्रावती व उसकी पुत्री पुनम का देहान्त हो गया है इसप्रकार हसंराम पुत्र मगनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो हसंराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 हंसराम पुत्र मगंनीराम के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी की मृतक बहन इन्द्रावती व उसकी पुत्री पुनम के वारिसान है अर्थात वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक समझौता किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण काश्त करते आ रहे है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की हसंराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हसंराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है जो वादी संख्या 1 का ससुर एव वादी संख्या 2 का दादा है वादीगण के पूर्वज हसंराम पुत्र मगनीराम का देहान्त हो गया है तथा हसंराम पुत्र मगनीराम के एक पुत्र दयाराम व पुत्री इन्द्रावती व उसकी पुत्री पुनम का देहान्त हो गया है इसप्रकार हसंराम पुत्र मगनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 निवेदन किया की परिवारिक समझौता मे उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई के पुत्र/पत्नी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 169/159 की कुल 0.5060हैक्ट एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 105/81 की कुल 1.5180हैक्ट व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 176/175 की कुल 4.8070हैक्ट में से 3/19 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हंसराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हसंराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है जो वादी संख्या 1 का ससुर एव वादी संख्या 2 का दादा है वादीगण के पूर्वज हसंराम पुत्र मगनीराम का देहान्त हो गया है तथा हसंराम पुत्र मगनीराम के एक पुत्र दयाराम व पुत्री इन्द्रावती व उसकी पुत्री पुनम का देहान्त हो गया है इसप्रकार हसंराम पुत्र मगनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो हसंराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 हंसराम पुत्र मगंनीराम के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी की मृतक बहन इन्द्रावती व उसकी पुत्री पुनम के वारिसान है अर्थात वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक समझौता किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण काश्त करते आ रहे है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 169/159 की कुल 0.5060हैक्ट एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 105/81 की कुल 1.5180हैक्ट व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 176/175 की कुल 4.8070हैक्ट में से 3/19 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हंसराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हंसराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है जो वादी संख्या 1 का ससुर एव वादी संख्या 2 का दादा है वादीगण के पूर्वज हंसराम पुत्र मगनीराम का देहान्त हो गया है तथा हंसराम पुत्र मगनीराम के एक पुत्र दयाराम व पुत्री इन्द्रावती व उसकी पुत्री पुनम का देहान्त हो गया है इसप्रकार हंसराम पुत्र मगनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो हंसराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 169/159 की कुल 0.5060हैक्ट एव रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 105/81 की कुल 1.5180हैक्ट व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 176/175 की कुल 4.8070हैक्ट में से 3/19 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हंसराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिच का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( सेशन्स )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

Scanned with CamScanner

**पर्चा डिक्री**

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :-

1. मीरा पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री दयाराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

वादीगण

**बनाम**

1. उम्मेदसिंह पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
3. श्रवण कुमार पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री हंसराम पत्नी महावीर जाति जाट साकिन खेडी तहसील नाथूसरी चोपटा जिला सिरसा हरियाणा।
6. सुमित्रा पुत्री हंसराम पत्नी हरदत जाति जाट साकिन खेडी तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
7. अशोक कुमार पुत्र दरियासिंह जाति जाट साकिन शेडी तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
8. अजय कुमार पुत्र दरियासिंह जाति जाट साकिन शेडी तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
9. सावित्री पुत्री दरियासिंह पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट साकिन देयड तहसील भट्टू जिला फतेहबाद
10. कमलेश पुत्री दरियासिंह पत्नी रमेश जाति जाट साकिन देयड तहसील भट्टू जिला फतेहबाद
11. निलम पुत्री दरिया सिंह पत्नी रामपाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर
12. सुमित पुत्र प्रेमसुख जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 685 सन 2022 निर्णय दिनांक-** 29/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 169/159 की कुल 0.5060हैक्ट एवं रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 105/81 की कुल 1.5180हैक्ट व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 176/175 की कुल 4.8070हैक्ट में से 3/19 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हंसराम पुत्र मगनीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

Scanned with CamScanner